न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 242/2018

RCMS Case No. 2018/00306

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थी:—
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन		1. प्रेमदेवी पत्नी हेमनाम 2. नरेन्द्रनाथ पुत्र हेमनाथ 3. पुनमनाथ पुत्र हेमनाथ 4. अनु पुत्री हेमनाथ 5. ममता पुत्री हेमनाथ जातिगण नाथ निवासीगण गुड़ा दुर्जन तहसील मारवाड़ जंक्शन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री जगदीश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक 14/5/2019

प्रार्थी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुड़ा दुर्जन तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 127 रकबा 0.0126 हैक्टेयरर किस्म गै0मु0 तेड़ तथा खसरा नम्बर 128 रकबा 7.0314 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 127 के साबिक खसरा नम्बर 91 तथा खसरा नम्बर 128 के साबिक खसरा नम्बर 92 थे। उक्त साबिक खसरा नम्बर 91 व 92 की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार डोली बनाम नाथजी मन्दिर भैरूजी बएतमाम पुजारी धुला रावल वल्द नोला रावल के नाम दर्ज थी, जो डोली के खुदकाश्त के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। इसके दौराने सेटलमेन्ट तहरीर हुए राजस्व रेकर्ड में मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए पुजारीयों का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2040 के खाता संख्या 16 के अनुसार खसरा नम्बर 128 व 129 की भूमि भूरा, रावल व दीपा रावल पि0 नवला रावल कौम रावल सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात खातेदार फौत होने तथा हस्तान्तरण होने के कारण सिलसिलेवार हुए परिवर्तन के अनुक्रम में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज हैं। चूंकि डोली की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को

अति० जिला कलेक्टर, पाली

खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इसके बावजूद भी पुजारियों के नाम खातेदारी इन्द्राज की गई तथा कालान्तर में पुजारियों द्वारा भूमि का अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः ग्राम गुड़ा दुर्जन के नामान्तरकरण संख्या 85, 198, 362 एवं 365 को अपास्त कराते हुए खसरा नम्बर 127 रकबा 0.0126 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तेड़ एवं खसरा नम्बर 128 रकबा 7.0314 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि के राजस्व रेकर्ड से पुजारियों का नाम विलोपित करते हुए भूमि पुनः डोली बनाम नाथजी मन्दिर भैरूजी के नाम दर्ज कराने हेतु माननीय मण्डल को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वजों को उक्त भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय से बतौर कृषक काबिज काश्त थे। इस कारण सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के प्रावधान प्रकरण हाजा पर लागू नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। गुड़ा दुर्जन तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 127 रकबा 0.0126 हैक्टेयरर किस्म गै0मु0 तेड़ तथा खसरा नम्बर 128 रकबा 7.0314 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 127 के साबिक खसरा नम्बर 91 तथा खसरा नम्बर 128 के साबिक खसरा नम्बर 92 थे। उक्त साबिक खसरा नम्बर 91 व 92 की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार डोली बनाम नाथजी मन्दिर भैरूजी बएतमाम पुजारी धुला रावल वल्द नोला रावल के नाम दर्ज थी, जो डोली के खुदकाश्त के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। इसके दौराने सेटलमेन्ट तहरीर हुए राजस्व रेकर्ड में मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए पुजारीयों का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2040 के खाता संख्या 16 के अनुसार खसरा नम्बर 128 व 129 की भूमि भूरा रावल व दीपा रावल पि0 नवला रावल कौम रावल सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात दीपा रावल फौत होने के कारण दीपा के का0मु0 कंकु बेवा दीपा रावल को जरिये नामान्तरकरण संख्या 85 के बतौर सह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात भूरा रावल फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 198 के भूरा रावल के कोई वारिश नहीं होने के कारण भूरा रावल का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित करते हुए उक्त सम्पूर्ण भूमि कंकू बेवा दीपा रावल को खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात कंकु फौत होने तथा कंकू द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 07.12.1994 प्रभाव में होने के कारण वसीयतग्रहिता हेमनाथ पुत्र मुगननाथ जाति नाथ निवासी शेखावास के पक्ष में वसीयत करने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 362 के वसीयतग्रहिता का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात हेमनाथ फौत होने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 365 के हेमनाथ के विधिक वारिशान के तौर पर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर

अति० जिला कलेक्टर, पाली

खातेदार दर्ज किया गया। चूंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी खसरा नम्बर 127 के साबिक खसरा नम्बर 91 तथा खसरा नम्बर 128 के साबिक खसरा नम्बर 92 थे। उक्त साबिक खसरा नम्बर 91 व 92 की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार डोली बनाम नाथजी मन्दिर भैरूजी बएतमाम पुजारी धुला रावल वल्द नोला रावल के नाम दर्ज थी, जो डोली के खुदकाश्त के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 9 की टिप्पणी के अनुसार किसी देव मूर्ति का मैनेजर उसका नौकर होता है। अतः एक देव मूर्ति को खुदकाश्त के अधिकार प्राप्त हो सकते है। इसके अतिरिक्त आर0आर0डी0 1994 रामप्रताप बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यह प्रतिपादित किया कि देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क होने से उसके नाम कृषि भूमि उसकी व्यक्तिगत कृषि भूमि मानी जावेगी। ऐसा ही आर0आर0डी0 1996 पेज 181 राज्य बनाम मुकनाराम में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अवैद्य रूप से खातेदार दर्ज व्यक्ति देव मूर्ति की भूमि का खातेदार नही हो जाता है। आर0आर0डी0 1979 पेज 7 माधो बनाम नन्दलाल में प्रतिपादित किया कि किसी देवमूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही मिल सकते, चाहे काश्तकार का कब्जा बन्दोबस्त के समय पर रहा हो। चूंकि देवमूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा हस्तगत प्रकरण में भूमि मन्दिर की खुदकास्त दर्ज है, जिसका किसी भी रूप में हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। इस प्रकार मन्दिर की भूमि का अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरण किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। इस कारण ग्राम गुडा दुर्जन तहसील मारवाड़ जंक्शन के गत खसरा नमबर 91 व 92, जिसके हाल खसरा नम्बर 128 व 128 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 7.0440 हैक्टेयर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दौराने भू–प्रबन्ध एवं भू–प्रबन्ध के पश्चात तहरीर किए गए राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज पुजारियों के इन्द्राज एवं उसके आधार पर विभिन्न रूप में परिवर्तित हुए राजस्व रेकर्ड की पुर्नस्थापना किया जाना आवश्यक होने के कारण ग्राम गुडा दुर्जन के नामान्तरकरण संख्या 85, 198, 362 एवं 365 को अपास्त कराते हुए खसरा नम्बर 127 रकबा 0.0126 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तेड़ एवं खसरा नम्बर 128 रकबा 7.0314 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि के राजस्व रेकर्ड से पुजारियों का नाम विलोपित करते हुए भूमि पुनः डोली बनाम नाथजी मन्दिर भैरूजी के नाम दर्ज कराने हेतु माननीय मण्डल को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणाम स्वरूप तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि गुडा दुर्जन के नामान्तरकरण संख्या 85, 198, 362 एवं 365 को अपास्त कराते हुए खसरा नम्बर 127 रकबा 0.0126 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तेड़ एवं खसरा नम्बर 128 रकबा 7.0314 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि के राजस्व रेकर्ड से पुजारियों का नाम विलोपित करते हुए भूमि पुनः डोली बनाम नाथजी मन्दिर भैरूजी के नाम दर्ज कराने का आदेश पारित करावें।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली